

पत्रांक

/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि-अनुभाग/2015-16/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

दिनांक::देहरादून :: 30 सितम्बर, 2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय:- e-Form 16 जारी/प्रयोग करने सम्बन्धी।

मुख्यालय के पत्रांक 3109/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि-अनुभाग /2015-16 दिनांक 16.09.2015 द्वारा e-Form 16 प्रयोग करने के सम्बन्ध में संशोधन उपरान्त निम्न निर्देश दिए गए थे:-

“e-Form 16 प्रयोग करने वाले व्यापारियों द्वारा दिनांक 16.06.2015 से e-Form 16 सहित विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फॉर्म-16 का प्रयोग भी किया जा सकता है, परन्तु दिनांक 01.10.2015 से विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फॉर्म-16 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिनांक 30.09.2015 तक यदि किसी प्रिन्टेड फॉर्म-16 की ट्रिपशीट तैयार कर दी गयी है, तब ऐसे फॉर्म-16 दिनांक 30.09.2015 के बाद भी आयात हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं किन्तु दिनांक 01.10.2015 से सिर्फ e-Form 16 ही प्रयोग किए जाने हैं।”

इस सम्बन्ध में व्यापारी वर्ग द्वारा उल्लिखित समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में e-Form 16 /प्रिन्टेड Form 16 प्रयोग करने की समयबद्धता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

“e-Form 16 प्रयोग करने वाले व्यापारियों द्वारा दिनांक 16.06.2015 से e-Form 16 सहित विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फॉर्म-16 का प्रयोग भी किया जा सकता है, परन्तु दिनांक 16.10.2015 से विभाग से प्राप्त प्रिन्टेड फॉर्म-16 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दिनांक 15.10.2015 तक यदि किसी प्रिन्टेड फॉर्म-16 की ट्रिपशीट तैयार कर दी गयी है, तब ऐसे फॉर्म-16 दिनांक 15.10.2015 के बाद भी आयात हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं किन्तु दिनांक 16.10.2015 से सिर्फ e-Form 16 ही प्रयोग किए जाने हैं।”

e-Form 16 प्रयोग/जारी करने सम्बन्धी अन्य समस्त निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

(पीयूष कुमार)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0पं0सं0 3408 /दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सलाहकार 'कर' उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर जोन।

parivad

571  
30.09.15

प्र.अ./आशुलिपि  
आवश्यक

डि.कमि.(क.नि.)  
वाणिज्य कर, देहरादून